गठन नहीं हुआ है और गत तीन वर्षों में कभी भी नियमानुसार चार बैठकें नहीं हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि आज के समय में भाषा के विकास और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये अति-आवश्यक यान्त्रिक सुविधाओं जैसे—टैलीप्रिंटर, टैलेक्स, कम्प्यूटर और इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों आदि का इस मंत्रालय में नितान्त अभाव है जिसके कारण राजभाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों में पूरे नहीं किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये कौन-कौन से सक्षम कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन 10 सितम्बर, 1985 को हो चुका है । इसकी प्रथम बैठक 30 अक्तूबर, 1985 को सम्पन्न हुई ।

(ख) यह अनुभव किया जाता है कि मात्र यान्त्रिक कार्यालय उपकरणों का न होना भाषा के कार्यान्वयन कार्यक्रमों में बाधक नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि उद्योग आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा

56. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज कृषि उद्योग आदि के लिये कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है और इस समय कितनी ऊर्जा उपलब्ध है ; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ एक राज्यों को छोड़कर ऊर्जा की भयावह कमी है, यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्थायें / योजनायें तैयार की हैं और अब तक योजनाओं को कहां तक व्यावहारिक रूप दिया गया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) चालू वर्ष 1985-86 के दौरान कृषि, उद्योग आदि में उपयोग के लिये ऊर्जा की आवश्यकता 181 बिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है तथा उपलब्धता 170 बिलियन यूनिट होने की आशा है ।

(ख) जी, हां । विद्युत् की उपलब्धता में सुधार लाने की दृष्टि से अनेक उपाय किये जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना ;

(2) वर्तमान क्षमता का बेहतर समुपयोजन करना; तथा

(3) पारेषण और वितरण हानियों को कम करना ।

भोपाल के खाना पकाने की गैस के अभिकर्त्ताओं के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें

57. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल शहर में खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उक्त शहर में गैस की कितनी एजेंसियां हैं और प्रत्येक गैस अभिकर्त्ता के पास गैस उपभोक्ताओं की संख्या अलग-अलग कितनी हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक गैस अभिकर्त्ता के पास गैस उपभोक्ताओं की संख्या का कोई मानदण्ड निर्धारित किया गया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या उस मानदण्ड का पालन किया गया है ;

(घ) क्या भोपाल के किसी गैस अभिकर्त्ता के विरुद्ध गैस उपभोक्ताओं ने, अनियमितताओं की शिकायत की है ; और

(ङ) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और पथभ्रष्ट अभिकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) भोपाल शहर में एल.पी.जी. उपभोक्ताओं की कुल संख्या 88,942 है ।

(ख) भोपाल शहर में एल.पी.जी. की एजेंसियों की संख्या तथा प्रत्येक एजेंसी के पास दर्ज उपभोक्ताओं की संख्या नीचे दी गयी है :—

क्रम संख्या	वितरक का नाम	उपभोक्ता
1.	आटो हाऊस	8256
2.	जे० जे० गैस सर्विस	10194
3.	प्रदीप एन्टरप्राइज़ेज	7209
4.	एस० बी० गैस	4554
5.	आर० के० डिस्ट्रीब्यूटर्स	5927
6.	अर्चना गैस एजेंसी	4670
7.	बी० एच० ई० एम्पलाइज़ कोआपरेटिव सोसाइटी	3599
8.	फोनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	3468
9.	बी० एस० एंड सर्विसिज़ लि०	5812
10.	सुनील जनरल स्टोर्ज	7586
11.	मनशरम कोटूमल बैरागढ़	2867
12.	बुक एंड कुक	5610
13.	रूपा गैस	3200
14.	दिव्या फलेम्स (न्यूली कमीशंड 17–9–85 को)	330
15.	ब्लू फ्लेम	6862
16.	ममता एजेंसीज़	6619
17.	विनीत गैस	2179

(ग) वितरकों के पास दर्जा उपभोक्ताओं की संख्या का कोई मानदण्ड नहीं है, परन्तु वितरकों का विनियमन सिलेण्डर रिफिलों की मासिक बिक्री की उच्चतम सीमा से होता है । रिफिल बिक्री की उच्चतम सीमा उस स्थान की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती है कि जिस कस्बे में डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थित होती है । भोपाल के मामले में रिफिल की उच्चतम सीमा 4000 रिफिल प्रति माह है ।

(घ) और (ङ) जी, हां । शिकायतें मुख्यत: रिफिल सप्लाई में विलम्ब, डीलरों द्वारा दुर्व्यवहार, कम वजन के सिलेण्डर, स्टोवों की जबरन बिक्री, इत्यादि से संबंधित हैं । तेल कम्पनियों द्वारा भूल करने वाले वितरकों के विरुद्ध एल.पी.जी. विपणन अनुशासन मार्गदर्शी निदेशों के अधीन उपचारी कार्यवाही की जाती है । इसमें सावधानी/चेतावनी-पत्र जारी करने तथा गुम हुए उपस्कर के लिये नामे लिखे जाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त किये जाने तक की कार्यवाही शामिल है ।